कृषि उत्पादन मंडी समिति, आचनेरा और अन्य

बनाम

विनोद कुमार

(सिविल अपील संख्या 3539/2006)

30 जनवरी, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और एस. एच. कपाडिया, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद, 226 – श्रम विवाद श्रम न्यायालय का अधिनिर्णय-कर्मचारी द्वारा इसके विरुद्ध लिखित याचिका-

उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया, पहले ही दिन जब मामला उसके सामने सूचीबद्ध किया गया और साढ़े तीन महीने बाद रिट याचिका को अनुमति देते हुए फैसला सुनाया गया।आयोजितः बिना नोटिस जारी किए पहले ही दिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया और श्रम न्यायालय का मामला दरकिनार कर दिया गया इसलिए, मामला उच्च न्यायालय को नए निर्णय के लिए प्रेषित किया गया -अभ्यास और प्रक्रिया।

प्रतिवादी-कर्मचारी ने चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की श्रम न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार। मामला सूचीबद्ध किया गया था 27-8-2003 पर पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष और उस तारीख को ही

उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत। फैसला अंततः 19-12-2003 पर दिया गया था जिसके द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिक कर्मचारी को अनुमति दी गई थी। इसलिए वर्तमान अपील मामले को उच्च न्यायालय में प्रेषित किया गया, हालांकि फैसला कथित तौर पर 19-12-2003 पर सुनाया गया जो सूची में नहीं था।

पक्षकारों को दिए गए निर्णय के बारे में जानकारी नहीं थी जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि जवाबी हलफनामा अपीलार्थी द्वारा 16-01-2004 पर दायर किया गया था और उत्तरदाता द्वारा प्रतिवादी को 29-04-2004 पर दाखिल किया गया था। अतः अपीलार्थी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि बिना नोटिस जारी किए, पहले दिन ही फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और श्रम न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया गया। यह उत्तरदाता द्वारा स्थिति विवादित नहीं है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को रदद कर दिया जाता है और मामला नए निर्णय के लिए उसे प्रेषित किया जाता है। [पैरा 4,5] [234-ए, बी, सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 3539/2006

अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 19.12.2003 से और 27.8.2004 इलाहाबाद उच्च न्यायालय का सी.एम.डब्ल्यू.पी. सं 37181/2003 और सी.

एम. (याद करें) 2004 का आवेदन सं. 113220 क्रमशः सी.एम.डब्ल्यू.पी सं. 37181/2003

अपीलार्थियों के लिए प्रदीप मिश्रा।

उत्तरदाता के लिए गौरव जैन और आभा जैन।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया था।

1. इस अपील में इलाहाबाद के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उच्च न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करता है और वर्तमान अपीलार्थी द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज करता है।

2. तथ्यात्मक परिदृश्य का विस्तार से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में स्थिति इस प्रकार हैः

श्रम न्यायालय के एक निर्णय दिनांक 20.2.2003 से व्यथित प्रतिवादी ने भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में 'संविधान') के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की। विवाद जिसे न्यायनिर्णयन के लिए श्रम न्यायालय के समक्ष भेजा गया था इस प्रकार पढ़िएः

"क्या उनके नियोक्ताओं द्वारा कामगार श्री विनोद कुमार, पुत्र श्री शिव चरण लाल, मंडी सहायक डब्ल्यू. ई. एफ. 10.01.1998

सेवाओं की समाप्ति कानूनी और/या वैध है? अगर नहीं, तो श्रमिक किस राहत या लाभ पाने के लिए हकदार है?"

3. श्रम न्यायालय ने दलों को नोटिस जारी करने के बाद माना था कि सब्जी मंडी एक उद्योग नहीं था और आगे कर्मचारी को तदर्थ आधार पर 89 दिनों के लिए नियुक्त किया गया था। उक्त पुरस्कार को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। मामला पहली बार 27.8.2003 को सूचीबद्ध किया गया था और उस तारीख को फैसला सुरक्षित रखा गया था और 19.12.2003 पर दिया गया था।

4. अपीलार्थियों के विद्वान वकील के अनुसार 23.8.2003 पर नोटिस दिया गया था और मामला 27.8.2003 को सूचीबद्ध किया गया था। हालाँकि निर्णय कथित रूप से 19.12.2003 पर दिया गया था, लेकिन वह सूची में नहीं था। पक्षकारों को दिए गए निर्णय के बारे में जानकारी नहीं थी जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्तमान अपीलार्थी द्वारा 16.1.2004 पर जवाबी हलफनामा दायर किया गया था और वर्तमान प्रत्यर्थी द्वारा प्रत्युत्तर 29.4.2004 को दाखिल किया गया था। अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि नोटिस जारी किए बिना पहले दिन ही निर्णय सुरक्षित रखा गया था और श्रम न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया गया। यह पद प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा विवादित नहीं है।

5. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को रदद करते हैं और मामले को नए सिरे से न्यायनिर्णयन के लिए भेजते हैं। अनावश्यक देरी से बचने के लिए बिना किसी और नोटिस के पक्षों को तारीख 14 मार्च, 2008 को उपयुक्त पीठ के समक्ष उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने दें। चूंकि जवाबी हलफनामा और प्रत्युत्तर दायर किया गया है, उन पर विचार किया जाना है और कोई अन्य दस्तावेज दाखिल किए जाने हैं, तो 7 मार्च, 2008 तक ऐसा किया जाएगा।

6. उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया जाता है मामले की सुनवाई के लिए एक उपयुक्त पीठ निर्धारित करे।

7. तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है। कोई लागत नहीं।

बी. बी.

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रोहित सक्सैना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।